

**झारखण्ड सरकार,
जल संसाधन विभाग।**

आ. सं. :- 8/ज.स.(नि.)देव-10/06 अंश:-

रांची, दिनांक :-

आदेश

श्री मिथिलेश कुमार सिंह, तत्. सहायक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, गोड्डा, शिविर महगामा के विरुद्ध विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1930 के नियम- 55 के तहत विभागीय संकल्प- 305 दिनांक 24.01.09 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. श्री सिंह के दिनांक 31.01.2016 को सेवा निवृत्त हो जाने के उपरान्त उपरोक्त विभागीय कार्यवाही को झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम 43 बी. में सम्पत्तिवर्तित किया जाता है।

ह0/-

(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:- 3110

रांची, दिनांक:- 10-6-16

प्रतिलिपि:- उप सचिव (प्र.), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची/ अवर सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची/ श्री मिथिलेश कुमार सिंह, तत्. सहायक अभियंता सम्प्रति सेवा निवृत्त कार्यपालक अभियंता, पता- सलेमपुर- डुमरा रोड, भक्तिम गली, पोस्ट- भेटनरी कॉलेज, राजा बाजार, पटना- 14, पिन- 800014/ वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(Handwritten signature)

(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

(Handwritten date)